



यालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली


मु० न०:- 131 / 2019

तारीखरजू:- 24-10-19

उनवान:- किरोडी बनाम रोकेश वगै०

दावा बावत स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत घारा 53,188

दिनांक	फर्द अहकाम
19/10/19	<p>वादी की और से श्री राधारमण शर्मा एडवोकेट ने दावा बावत स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत घारा 188 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहर के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्चे पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 31.10.2019 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली</p>
31/10/19	<p>गार्धी एवं गार्धी कबील उपस्थित। इसी औरसे मूल दावा किटो क्वारिज कटा लिपा है अतः इस प्रकार से दोई कार्पवाही अपेक्षित नही है अतः यह गार्धना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा रवारिज किया जाता है पत्रावली फेंसल शुमार होकर अम्बरसे कम होकर दावा पत्रावली के साथ सैलमन रहे।</p> <p style="text-align: right;"> उपजिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)</p>


31/10/19
Identified
D.125